हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील वादी उपस्थित। यह दावा वकील वादी ने पेश किया। दावा दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 16/2/18 को पेश हो। SDO	TRP 9/2/18
16/2/18 बकुलाय फेरीफेन सं०/P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 9/3/18 को पेश हो। प्रति भी आये [illegible] पेश किया	
वकील वादी/पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने संशोधित जवाब पेश किया। वास्ते कागजी तनकीयात पत्रावली दिनांक 23/3/18 को पेश हो। SDO	
वकील वादी/पैरोकार सरकार उप०। पैरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की व वकील वादी की बहस की नकल दिलाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। बाद [illegible] पत्रावली फैसल हुकम दोनों संख्या से कम हो (दाखिल)। SDO	

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/09/2018

1 बालमुकन्द पुत्र किशोंरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
2 रामलाल पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
3 रतनलाल पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
4 गोपी पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
5 गोकल पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
6 वीरेन्द्र पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
तहसील कठूमर जिला अलवर

------ डिक्रीदारान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

----- मदयून

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3328 रकवा 1.62 हे. खसरा नम्बर 3394 रकवा 1.88 हे. 3420 रकवा 0.24 हे. किता 3 रकवा 3.74 हे. ग्राम कानेटी तहसील कठूमर का वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 23.03.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/09/2018

1. बालमुकन्द पुत्र किशोंरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
2. रामलाल पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
3. रतनलाल पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
4. गोपी पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
5. गोकल पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी
6. वीरेन्द्र पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम कानेटी

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

——— प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री औमप्रकाश सैनी एडवोकेट : वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 23.03.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 3328 रकवा 1.62 हे. 3394 रकवा 1.88 हे. 3420 रकवा 0.24 हे. किता 3 रकवा 3.74 हे. ग्राम कानेटी तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी मनोहरी पुत्र चिम्मन जाति माली वगैरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसमें प्रार्थीयान का नाम दर्ज नहीं है। मुताविक जमाबन्दी संवत् 2013 के अनुसार खसरा नम्बर 2096 रकवा 6 वीघा 8 विस्वा 2114 मिन रकवा 3 विस्वा खसरा नम्बर 2161 रकवा 7 वीघा 6 विस्वा खसरा नम्बर 2160 मिन रकवा 19 विस्वा की खातेदारी सहखातेदार के पिता एंव पितामह के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

साथ प्रार्थीयान के पिताजी स्व0 श्री किशोरी नवीरा सालगा, रामदेई बल्द दीपचन्द के नाम संयुक्त खातेदारी में हिस्सा1/6 दर्ज था। मुताविक मिसल बन्दोबस्त संवत् 2028 के अनुसार खसरा नम्बर 3328, 3394, 3420 कुल रकवा 14 वीघा 16 विस्वा में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीयान के पिता का नाम दर्ज नहीं किया। जिसके कारण आज तक प्रार्थीयान का नाम उक्त भूमि में दर्ज नहीं हुआ। भू प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। प्रार्थीयान के पूर्वजों के नाम दर्ज भूमि में नाम दर्ज नहीं रहने से प्रार्थीयान अपनी खातेदारी भूमि के अधिकारों से बंचित हो गये है। प्रार्थीयान के पिताजी स्व0 श्री किशोरी नवीरा सालगा रामदेई बल्द दीपचन्द के नाम संयुक्त खातेदारी में हिस्सा 1/6 दर्ज था तथा वर्तमान में उनके वारिसान प्रार्थीयान है। जमाबन्दी सेग्रिगेशन के तहत पटवारी हल्का/कानूनगौ हल्का ने दिनांक 22.01.2018 को प्रार्थीयान से सम्पर्क किया तथा फर्द तैयार की तव प्रार्थीयान को उक्त गलत अंकन का ज्ञान हुआ। अतः वादीगण ने विवादित आराजी में अपना 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषित कराने व दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि नकल जमाबन्दी संवत् 2013 में प्रार्थीयान के पूर्वजों के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज था। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2028 में वाद भूमि में कुल 5/6 हिस्सा ही दर्ज किये गये थे। वन्दोबस्त अवधि के बाद की जमाबन्दियों में मिसल के अनुसार अंकन चला आ रहा है जिसे दुस्स्त करने का निवेदन किया है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2070 सक 2073, नकल जमाबन्दी संवत् 2013, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 वाके ग्राम कानेटी व ग्राम पंचायत सौंखरी का वारिसान प्रमाण पत्र व पर्चा मौका पटवारी/कानूनगौ पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित वहस प्रस्तुत की है जो संलग्न पत्रावली है। लिखित वहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया है कि विवादित आराजी वादीगण के पिताजी स्व0श्री किशोर व चाची रामदेई बल्द दीपचन्द के 1/6

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जमाबन्दी संवत् 2013 में इस प्रकार के इन्द्राज दर्ज है। बन्दोवस्त विभाग ने गैरकानूनी तरीके से वादीगण के पिताजी किशोरी व चाची रामदेई के नाम दर्ज खातेदारी के 1/6 हिस्सा के इन्द्राज को विना किसी हक व अधिकार के गैरकानूनी रूप से हटा दिया इस वजह सें हाल राजस्व रेकार्ड तक वादीगण के पिताजी किशोर व चाची रामदेई का नाम या इनके वाद वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादी ने जवाव पेश कर उक्त इन्द्राज ग्रलती से छूट जाने व वादीगण के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी व हाल राजस्व रेकार्ड दुंरूस्त करने की सहमति दी है। अतः दावा वादीगण डिक्री कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की लिखित वहस पर मनन किया। मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह सही है कि साविक खसरा नम्बर 2096 से हाल खसरा नम्बर 3328, साविक खसरा नम्बर 2114 मिन व 2161 से हाल खसरा नम्बर 3394 साविक खसरा नम्बर 2160 से हाल खसरा नम्बर 3420 वाके ग्राम कानेटी कायम किये गये हैं। जमाबन्दी संवत् 2013 में उक्त साविक खसरा नम्बरान में वादीगण के पिता किशोरी व चाची रामदेई के नाम 1/6 हिस्से के इन्द्राज दर्ज है। वादीगण ने ग्राम पंचायत सौंखरी से जारी वारिसान प्रमाण पत्र पेश किया है जिसके अनुसार रामदेई बल्द दीपचन्द व किशोरी नवीरा सालगा के वारिस वादीगण ही है। जमाबन्दी संवत् 2028 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वन्दोवस्त विभाग द्वारा दौरान बन्दोबस्त जो जमाबन्दी तैयार की गयी है उसमें वादीगण के पिता किशोरी व चाची रामदेई का इन्द्राज का अंकन छोड दिया व राजस्व रेकार्ड में 5/6 हिस्सा का ही इन्द्राज सहखातेदारान के नाम हुआ है। 1/6 हिस्सा का कोई इन्द्राज नहीं है। पटवारी/गिरदावर हल्का के मौका पर्चा के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में किशोरी नवीरा सालगा, रामदेई बल्दा दीपचन्द समान भाग 1/6 दर्ज होने से शेष रह गया जो कि संवत् 2013 की जमाबन्दी के अनुसार दर्ज किया जाना उचित है। मौके पर अन्य सहखातेदारान ने किशोरी वगैरा का 1/6 हिस्से पर कब्जा होना व सहखातेदारान द्वारा इनका हिस्सा दुरूस्त किये जाने की सहमति दी गयी है। पर्चा

Scanned by CamScanner

मौका पर सहखातेदारान के हस्ताक्षर बतौर सहमति किये गये है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की लिखित बहस पर मनन किया जिससे सावित है कि संवत् 2013 की जमाबन्दी में किशोर पुत्र सालगा व रामदेई बल्दा दीपचन्द के1/6 हिस्सा को वन्दोवस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी बनाते समय छोड दिया जाना सावित है। हाल राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी का 5/6 हिस्सा सहखातेदारान के नाम दर्ज है लेकिन वादीगण का 1/6 हिस्सा का अंकन लिखने से छूट गया है। जिसे प्रतिवादी ने जवाव पेश कर स्वीकार किया है व दुरूस्त करने की प्रार्थना की है। पर्चा मौका पटवारी/कानूनगौ के अनुसार विवादित आराजी के 1/6 हिस्सा पर कब्जा मौके पर वादीगण का है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3328 रकवा 1.62 हे. खसरा नम्बर 3394 रकवा 1.88 हे. 3420 रकवा 0.24 हे. किता 3 रकवा 3.74 हे. ग्राम कानेटी तहसील कठूमर का वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 23.03.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner